

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2022  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0029 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 15/12/2022 18:15 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	197
3	IPC 1860	198
4	IPC 1860	201
5	IPC 1860	420
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
- 1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 04/02/1991 Date To (दिनांक तक): 15/12/2022  
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 15/12/2022 Time (समय): 17:59 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012 Date and Time (दिनांक और समय): 15/12/2022 17:59 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 50 Km(s) Beat No. (बीट सं.):  
(b) Address (पता): फतेहाबाद,  
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):  
District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): जसवंत सिंह  
(b) Father's Name (पिताका नाम): सोहन सिंह  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1977 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA  
(e) UID No. (यूआईडी सं.):  
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):  
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):  
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	वार्ड नं 13,आर्य भट्ट हाई, स्कूल के पीछे वाली गली, बीघड रोड फतेहाबाद, FATEHABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	वार्ड नं 13,आर्य भट्ट हाई, स्कूल के पीछे वाली गली, बीघड रोड फतेहाबाद, FATEHABAD, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अजय कुमार		Father's Name: अनुप सिंह	1. बीघड,FATEHABAD,HARYANA,INDIA
2	अन्य अधिकारी वा कर्मचारी			1. UNKNOWN,UNKNOWN

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

## 12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार। श्रीमान जी जांच क्रमांक 05 दिनांक 29.09.2017 फतेहबाद जसवंत सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी वार्ड नं0 13 आर्य भद्र हाई स्कूल के पीछे वाली गली, बीघड़ रोड़, फतेहबाद की शिकायत के आधार पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 37/6/17-3 चौकसी -1 दिनांक 15.09.2017 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के पृष्ठांकन क्रमांक 12282/आई-3/SVB(H) दिनांक 03.10.2017 के अनुसार दर्ज रजि0 होकर विरूद्ध अजय कुमार, तकनीकी सहायक, कार्यालय डी0आर0डी0ए0 फतेहबाद इस मण्डल में पडताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप था कि:-श्री अजय कुमार, तकनीकी सहायक, कार्यालय डी0आर0डी0ए0 फतेहबाद ने बी0ए0 की डिग्री का फर्जी प्रमाण पत्र देकर अपने सीनियर कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय प्रमोशन ले रखी है अजय कुमार के बी0ए0 के फर्जी प्रमाण पत्र की जाँच करवाई जावे। पडताल के दौरान पाया गया कि अजय कुमार पुत्र श्री अनुप सिंह वासी बिघड़ जिला फतेहबाद दिनांक 04.02.1991 को अन्वेषक के पद पर बी0ए0 पास की डिग्री के आधार पर डी0आर0डी0ए0 कार्यालय जीन्द में नियुक्त हुआ था। नियुक्ति के दौरान अजय कुमार उपरोक्त ने अपनी बी.ए. की डिग्री (मार्कशीट) की फोटोप्रति कार्यालय में जमा करवाई थी। जो जांच के दौरान कार्यालय के रिकार्ड से अजय कुमार की निजी फाईल को नष्ट की जानी पाई गई। जिसके कारण अजय कुमार की बी0ए0 की डिग्री (मार्कशीट) की फोटोप्रति बरामद नहीं हो सकी। जांच के दौरान कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी0आर0डी0ए0 फतेहबाद से अजय कुमार तकनीकी सहायक के भर्ती के समय शैक्षणिक योग्यता, पदोन्नति व शिकायत कर्ता जसवंत सिंह की शिकायतों से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया गया जिसके अवलोकन से पाया गया कि श्री अजय कुमार अन्वेषक को कार्यालय वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास विभाग चण्डीगढ़ के पत्र क्रं. 3708 दिनांक 03.09.2003 के अनुसार तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नत किये जाने बारे स्वीकृति देने उपरान्त अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी0आर0डी0ए0 फतेहबाद द्वारा पदोन्नति के आदेश किये गये हैं। जांच के दौरान पाया गया कि श्री अजय कुमार तकनीकी सहायक की बी0ए0 पास से सम्बन्धित दिये गये रिकार्ड का सत्यापन ज्योति कुंवर कालेज फतेहपुर पटना व मगध विश्वविद्यालय बोध गया बिहार से करवाया गया जिसमें ज्योति कुंवर कालेज फतेहपुर पटना के पत्र क्रं0 J.K.M. 03/2020 दिनांक 16.01.2020 से पाया गया कि वर्ष 1990 से पहले का रिकार्ड बाढ़ आने के कारण नष्ट हो चुका है केवल टी0आर0 रजिस्ट्रर ( Tabulation Register ) कालेज में उपलब्ध है टी0आर0 रजिस्ट्रर ( Tabulation Register ) में अजय कुमार के पिता का नाम नहीं दर्शाया गया है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि यह रिकार्ड इसी अजय कुमार पुत्र अनुप सिंह का ही है। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी0आर0डी0ए0 जीन्द के पत्र क्रं0 975 दिनांक 21.07.2022 अनुसार अजय कुमार की निजी फाईल को तत्कालिन अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की स्वीकृति उपरान्त कण्डम कराने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत की है, लेकिन सूची पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं करवाने पाये हैं। अजय कुमार द्वारा पेश किये गये मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार से जारी उसके बी.ए. की मार्कशीट व प्रोविजनल सर्विफिकेट का अवलोकन करने से पाया गया की दोनों एक ही तिथि 14.11.1992 को जारी किये गये हैं तथा दोनों पर सैकशन ऑफिसर (एस.ओ.) के हस्ताक्षर देखने पर भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं जो मेल नहीं खाते हैं व जो कन्ट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के हस्ताक्षर हैं वो भी देखने पर मेल नहीं खाते हैं अर्थात् हस्ताक्षर भिन्न हैं तथा यह भी सम्भव नहीं है कि किसी परीक्षार्थी को मार्कशीट व प्रोविजनल सर्विफिकेट एक ही दिनांक को जारी हो सकता हो। उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि अजय कुमार पुत्र श्री अनुप सिंह वासी बिघड़ तह0 व जिला फतेहबाद हाल तकनीकी सहायक जिला ग्रामीण विकास एजन्सी फतेहबाद बी0ए0 की फर्जी डिग्री के आधार पर भर्ती हुआ है। इसलिए इस तथ्य की सच्चाई जानने के लिये गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। अतः अजय कुमार के विरुद्ध धारा 197/198/201/420/468 /471/120-बी भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज करके अनुसंधान करने का सुझाव देकर तथा अनुसंधान के दौरान मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार व जिला ग्रामीण विकास एजन्सी, जीन्द के अधिकारियों/कर्मचारियों का अगर इस प्रकरण में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही किये जाने का सुझाव देकर जांच की अंतिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार के माध्यम से महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में भिजवाई गई। परिक्षणोपरान्त महानिदेशक रा0 चौ0 ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा पत्र क्रमांक 14843/रा0 चौ0 ब्यूरो (ह0) दिनांक 13.09..2022 के अनुसार जाँच रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ को भेजी गई थी। अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 37/6/2017-3 चौकसी -1 दिनांक 10.11.2022 की अनुपालना महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 18254/आई-3/एस0वी0बी0 (एच) दिनांक 21.11.2022 के अनुसार अजय कुमार, तकनीकी सहायक कार्यालय डी0आर0डी0ए0 फतेहबाद के विरुद्ध धारा 197/198/201/420/468 /471/120-बी भा0द0स0 के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त होने पर प्राप्ता आदेशों की अनुपालना में अजय कुमार पुत्र श्री अनुप पुत्र अनुप सिंह निवासी गांव बिघड़ तहसील व जिला फतेहबाद हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय डी0आर0डी0ए0 फतेहबाद व अन्य संलिप्त अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 197/198/201/420/468 /471/120-बी भा0द0स0 के तहत अभियोग अंकित किया जाकर असल लेख, नकल मिशल पुलिस, जांच क्रमांक 05 दिनांक 29.09.2017 फतेहबाद की 4 फाईलें व आमदा रिकार्ड आगामी अनुसंधान हेतू श्री राकेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र फतेहबाद के पास भिजवाई जाये। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बजरिया डाक/ईमेल ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व पुलिस अधीक्षक फतेहबाद तथा अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे। यदि अनुसंधान के दौरान मगध विश्व विद्यालय, बोधगया, बिहार व जिला विकास ग्रामीण एजेंसी, जींद के अधिकारी/कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाये तो उन्हें भी अभियोग के अनुसंधान में शामिल कर लिया जाये। ( कैलाश चन्द ) ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल हिसार। दिनांक 15.12.2022 अज थाना :- लेख हजा पर मुकदमा व जर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल लेख मय आमदा रिकार्ड कुल 04 फाईल बराये तफतीश निजद श्री राकेश कुमार उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र फतेहबाद के पास भेजी जा रही हैं। नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब फतेहबाद व पुलिस अधीक्षक फतेहबाद को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है।

## 13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or ( या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rakesh Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): 43HAP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SATYAPAL

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 303/SPT

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Unknown					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)